



प्रेषक,

के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: डिपो कार्यशाला, राप्तीनगर, जनपद गोरखपुर स्थित टायर शॉप का उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-326बी/डीए/पूर्व/26-159जेईटी/वि०/25-26, दिनांक 28.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिपो कार्यशाला, राप्तीनगर, जनपद गोरखपुर स्थित टायर शॉप का उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० से आंकलित लागत धनराशि रू० 249.99 लाख के प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा औचित्य परीक्षण समिति द्वारा धनराशि रू० 246.99 लाख (सेन्टेज जी०एस०टी० एवं लेबर सेस सहित) औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2- प्रश्नगत डिपो कार्यशाला, राप्तीनगर, जनपद गोरखपुर स्थित टायर शॉप का उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु आंकलित लागत रू० 246.99 लाख (सेन्टेज जी०एस०टी० एवं लेबर सेस सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू० 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
- (5) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या- 5/2021/File No. 65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (6) उक्त प्रस्तावित कार्य में फर्नीचर कार्य का प्रावधान किया गया है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाये।
- (7) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

- (10) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (11) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
 - (12) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (13) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाये, जिसका उत्तर-दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।
 - (14) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
 - (15) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
 - (16) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।
 - (17) परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड़्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या-E-9-652-2025-26 दिनांक: 30-03-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 52 /2026 /343(1) /तीस-1-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव।